(14)

न्यायालय श्रीमान् रेवन्यू बोर्ड ग्वालियर [मध्य प्रदेश]

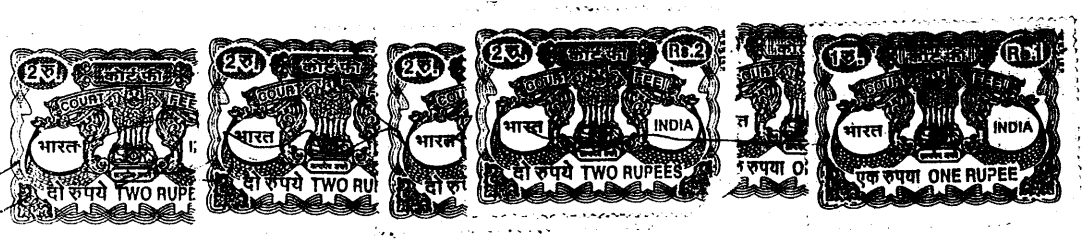

भोला प्रसाद तनय प्रेमलाल जायसवाल उम्र 40 वर्ष पेशा - व्यापार [पान का ठेला]
निवासी बरटोला तहसील पुष्पराजगढ़ जिला शहडोल म0प्र0

--------- निगरानीकर्ता

नि 1128-II/10

बनाम

शासन म0प्र0 ------------------------- गैरनिगरानीकर्ता

एस.वी. धाकड़ एडवोकेट
11-8-10

निगरानी विरूद्ध निर्णय /आदेश न्यायालय श्रीमान् कमिश्नर महोदय शहडोल संभाग , शहडोल म.प्र. का प्रकरण क्र. 547 /अपील / 2008- 09 निर्णय दिनांक- 24- 6- 2010

अन्तर्गत धारा- 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959ई.

1.8.10

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न है :-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय /आदेश दिनांक- 24- 6-2010 प्र0क्र0 547/ अपील/ 2008- 09 विधि एवं प्रक्रिया के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

1.8.10

2- यहकि दोनो अधीनस्थ न्यायालयो ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान न देने में महान विधिक भूल की है कि धारा 248 म.प्र. भू रा. सं. के अन्तर्गत तहसीलदार महोदय को विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र मे अप्रैल सन् 1955 के प्रथम दिन के पूर्व निर्मित भवनो

क्रमशः- 2

(11)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1128–दो/10 जिला शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–5–2016	आवेदक के अधिवकता श्री एस0 पी0 धाकड़ द्वारा यह निगरानी आयुक्त शहड़ोल संभाग शहडोल के प्रकरण कमांक 547/अपील/08–09 में पारित आदेश दिनांक 24.6.10 के विरूद्व इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का सारांश यह है कि पटवारी हल्का न0 लखौरा द्वारा तहसील पुष्पराजगढ़ के न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत प्रतिवेदन प्रस्तुत कया गया कि ग्राम किरगी की शासकीय भूमि खसरा न0 105 रकवा 0.304 है0 के जुज रकवा 0.004 है0 पर आवेदक वर्ष 1997–98 में अनाधिकार कब्जा कर लिया है। बेदखल कर दण्डित किया जावे। तहसीलदार पुष्पराजगढ ने प्रकरण कमांक 20/अ–68/97–98 में पारित आदेश दिनांक 1.2.99 को संहिता की धारा 248 के तहत बेदखल कर रूपये 300/– अर्थदण्ड आरोपित कर अतिक्रमण हटाये जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीयं अधिकारी पुष्पराजगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 24.11.02 के अनुसार तहसीलदार का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की । इससे प्रविवेदित होकर आवेदक ने आयुक्त शहडोल के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये आवेदक की द्वितीय	

अपील निरस्त की जिससे दुखी होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3- आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ के तर्क सुने । उन्होंने अपने तर्क में कहा है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान नहीं दिया दिया है जिससे महान विधिक भूल की है । धारा-248 के अन्तर्गत तहसीलदार को विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र में अप्रैल 1975 के प्रथम दिन के पूर्व निर्मित भवनों का निर्माण कार्यो द्वारा किये गये अतिक्रमणों के संबंध में इस धारा में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में नहीं लायेगा। विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर यह प्रमाणित किया था कि आवेदक के पिता व आवेदक को बेदखली की नोटिस प्राप्त होने के पूर्व 50 से 70 वर्ष से आवेदक के पिता का कब्जा दखल के रूप में था। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त शहडोल का आदेश निरस्त किया जावे।

4- आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा अपने निगरानी मेमों में यह कहा गया है कि भूमि उसके पिता के स्वामित्व एवं 50 से 70 वर्ष तक कब्जा रहा है । लेकिन उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्व हो सके कि भूमि आवेदक के स्वामित्व की है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों का समवर्ती आदेश होने के कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। तथा

(13)

आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा आयुक्त शहडोल का आदेश दिनांक 24.6.2010 स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख मय आदेश की प्रति के वापिस हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के. सी. जैन)
सदस्य